कार्यालय नगर पालिका परिषद, बांदा

पत्रांक 2941 /स्वा0वि0/न0पा0परि0बांदा/2018–19 दिंनाक 26 फरवरी,2019

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हें, कि नगर पालिका परिषद, बांदा द्वारा आउटर्सोसिंग के माध्यम से कर्मचारी आपूर्ति बावत वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु ई–प्रिक्योर्मेण्ट निविदायें आमंत्रित की जा रही हैं। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/ संस्था उक्त उक्त निविदायें में प्रतिभाग कर सकता हें।

कार्यो की निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि	27.02.2019 से 06.03.2019 प्रातः 10:00 बजे
निविदा हेतु अर्नेस्टमनी, निविदा शुल्क एंव निविदा की मूल प्रति कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि	06.03.2019 अपरान्ह 12:00 बजे तक
कार्यो की निविदा खोलने की अन्तिम तिथि	06.03.2019 अपरान्ह 02:00 बजे

क्र0	आपूर्ति हेतु कर्मचारी	दरे प्रतिदिन	जमानत राशि	टेण्डर मूल्य बिक्रीकर सहित	संचालन अवधि
1	कम्प्यूटर आपरेटर (स्नातक एंव कम्प्यूटर में PGDCA /समकक्ष डिप्लोमा तथा 7वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य)	665/–प्रतिदिन	05 लाख	5000.00	31.03.2020
2	सहायक कम्प्यूटर आपरेटर (12वी पास, 1 वर्ष का कम्प्यूटर डिप्लोमा तथा 02 वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य)	550/–प्रतिदिन			
3	विद्युत कर्मी/लाइन मैन (विद्युत कार्य का अनुभव अनिवार्य)	363.75 प्रतिदिन			
4	ड्राइवर (JCB/ट्रक/वैकोलोडर एंव हल्के वाहन हेतु) (हैवी एंव हल्के वाहन ड्राईविंग लाइसेन्स व कार्य अनुभव अनिवार्य)	363.75 प्रतिदिन			
5	स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत फील्ड सर्वे स्टाफ (12वी पास तथा 03 वर्ष का सरकारी विभाग में कार्य करने का अनुभव अनिवार्य)	295/–प्रतिदिन			
6	चौकीदार	295/–प्रतिदिन			
7	माली	295/–प्रतिदिन			
8	सफाई कर्मी	295/–प्रतिदिन			

निविदा की शर्ते :–

1 सशर्त निविदायें मान्य नहीं होगी और स्वतः निरस्त समझी जायेगी। ई–निविदा के सम्बन्ध में किसी विशेष छूट व प्रक्रिया हेतु शासन/नगर विकास से सम्बन्धित शासनादेश के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी, जिसे निविदा के साथ संलग्न किया जाना अनिर्वाय होगा।

2 सेवा प्रदाता संस्था द्वारा ई–निविदा के माध्यम से निर्धारित तिथि तक अपलोडिंग करना होगा तथा धरोहर धनराशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/एफ0डी0 अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बांदा के पक्ष में बन्धक कराकर निविदा प्रपत्रों के साथ मूल रूप से जमा करना होगा। छायाप्रति मान्य नहीं होगी।

3 सेवा प्रदाता संस्था/निविदादाताओं द्वारा न्यूनतम मजदूरी+ई0पी0एफ0+जी0एस0टी0 सहित दरें निविदा में अंकित करनी होगी। न्यूनतम मजदूरी से नीचे उपलब्ध कराई गई निविदा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी। आयकर की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

4 सेवा प्रदाता संस्था द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के प्राविधानों के अनुसार उप श्रम आयुक्त व नगर विकास विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान अपने कर्मियों को करना होगा। इसके अतिरिक्त ई0पी0एफ0+जी0एस0टी0 एंव अन्य करों का समस्त भुगतान सेवा प्रदाता संस्था द्वारा सम्बन्धित विभाग को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करना होगा तथा भुगतान के फलस्वरूप इन विभागों से प्राप्त जमा रसीदें कार्यालय में अगले भुगतान से पूर्व प्रस्तुत करनी होगी।

5 आपूर्तित कर्मियों की मजदूरी उपस्थित दिवसों के आधार पर देय होगी। कर्मियों को अवकाश देने से पूर्व उनके स्थान पर किसी को लगाने की व्यवस्था सेवा प्रदाता संस्था को करनी होगी, जिसकी पूर्व सूचना नगर पालिका को देनी होगी। कर्मियों द्वारा कार्य अवधि में लापरवाही/ अनुशासनहीनता वरती जाती है, तो पालिका प्रशासन द्वारा सूचित करने पर उनके स्थान पर तत्काल दूसरे कर्मियों की सेवा उपलब्ध कराना होगा।

6 कर्मियों के कार्य अवधि में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना, नगर पालिका परिषद, बांदा को क्षति होती है तो समस्त उत्तरदायित्व सेवा प्रदाता संस्था का होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति सेवा प्रदाता संस्था को करनी होगी। क्षतिपूर्ति न करने पर धरोहर धनराशि जब्त कर संस्था के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

7 सेवा प्रदाता संस्था को पैन कार्ड ई0पी0एफ0, श्रम विभाग अधिष्ठान के रजिस्ट्रेशन, जी0एस0टी0 पंजीयन प्रमाण पत्र, 80लाख की हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

8 एक से अधिक निविदा समरूप होने पर सेवा प्रदाता संस्था का पैनल बना दिया जायेगा और आवश्यकतानुसार सेवायें पैनल के सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से आवश्यकतानुसार समय–समय पर ली जाती रहेगी।

9 आपूर्ति कर्मियों से उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर आवश्यकतानुसार पालिका के अन्य कार्य भी समय–समय पर लिये जा सकते हैं।

10 दरों के स्वीकृति उपरान्त पदों की संख्या आवश्यकतानुसार निर्धारित की जायेगी।

11 कम्पनी के लिए चयन की स्थिति में यह अनिवार्य होगा कि वह 15 दिन के अन्दर कम से कम 60 प्रतिशत स्टाफ की सेवायें उपलब्ध करा दें एवं शेष 40 प्रतिशत की सेवायें अगले 15 दिनो के अन्दर उपलब्ध करायें।

12 कार्मिकों के लिए दी जाने वाली धनराशि में से सेवा प्रदाता द्वारा कोई कटौती नहीं की जायेगी। यदि ऐसा किया जाता है तो सेवा प्रदाता की सेवायें समाप्त कर दी जायेगी तथा नगर पालिका परिषद, बांदा में सेवा प्रदाता को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा। सर्विस चार्जेस आदि का भुगतान विभाग द्वारा मासिक बिल के साथ किया जायेगा।

13 सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा कम से कम तीन विगत वर्षों की आडिटेड बैलेन्स शीट संलग्न करना अनिवार्य होगा।

14 कम्पनी द्वारा किसी नगर निकाय या अन्य विभाग में काली सूची में न होने का प्रमाण रू0 100 रू0 के हलफनामें के रूप में दिया जायेगा।

15 सेवा प्रदाता संस्था द्वारा निविदा के किसी भी शर्तों के उल्लंघन करने पर उनके द्वारा जमा धरोहर धनराशि जब्त करते हुए सेवा प्रदाता संस्था का अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।

16 सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी, प्रथम दृष्टया ही अस्वीकार कर दिया जायेगा।

17 सेवा प्रदाता निकाय स्टाफ स्ट्रेन्थ, योग्यता एवं अनुभव जहां–जहां कार्य किया हो की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जानी होगी।

18 एक या सभी निविदा की आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकृत या बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार मा0 अध्यक्ष, नगर पालिका परिषदा, बांदा के पास सुरक्षित होगा किसी विवाद के संदर्भ में मा0 अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बांदा का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा। किसी भी प्रकार के मतभेद का निपटारा सिविल कोर्ट, बांदा के कार्यक्षेत्र में निस्तारित होगा।

19 किसी भी सेवा प्रदाता संस्था का चयन होने के पश्चात उससे एक वर्ष का सशर्त अनुबन्ध के पश्चात कार्यादेश जारी किया जायेगा।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, बांदा

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, बांदा

पृ0सं0 / तद्दिनाक

प्रतिलिपि :–

1 जिलाधिकारी, महोदय बांदा को सादर सूचनार्थ।

2 प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय, बांदा को सादर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3 जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बांदा को उक्त सूचना की एक साफ्ट कापी इस आश्य से प्रेषित कि उपरोक्त निविदा सूचना की एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

4 कम्प्यूटर आपरेटर नगर पालिका बांदा को इस आशय के साथ कि नगर पालिका परिषद, बांदा की वेबसाईट में उक्त सूचना अपलोट कराने हेतु।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, बांदा